

19.5.26

कल पद पत्रावली पेश हुई। वही अभिगणना हुनी  
गई। अभिगणना गण आदि वाड-पत्र राजीगण अनुकार  
डिही किये जाने का निकेतन किया गया। वाड-पत्र वाडी  
एवं उत्तिवाडगण राजीगण अनुकार डिही किया जाता है।  
विस्तृत निर्णय अलग के लिखा जाकर शामिल किया गया।  
निर्णय अनुकार पर्या डिही जारी हो। पत्रावली नंबर  
का ध्यान देकर उपलब्ध हो।

आदेश देकर हुनाया गया।

GCMS  
2026/59

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ़ (राज.)



B

बगवारी

विनाशकारी  
यहाँ

विनाशकारी

29

प्रति 3  
Idennhaby  
Gum  
Adv.

न्यायालय सहायक कलेक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी, भरत जय प्रकाश मीणा आई.ए.एस.

प्रकरण सं. 34/2026

G/CMS:- 2026/59

दायर दिनांक 22.01.2026

औमप्रकाश पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. केशूराम पुत्र श्री भीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. खिराजराम पुत्र श्री भीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शकुन्तला देवी पत्नी श्री डोगरदास जाति जाट निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. मदनलाल पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. बनवारीलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. तहसीलदार भू0अ0 सूरतगढ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 251(क)ए 209 आरटीए

उपस्थित :-

- (1) श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, अभिभाषक वादी
- (2) श्री प्रभूदयाल वर्मा व राकेश सारस्वत, अभिभाषक प्रतिवादीगण
- (3) पैरोकार राज नायब तहसीलदार, सूरतगढ



निर्णय

दिनांक 19.01.2026

पत्रावली पेश हुई, वकूलाय फरीकेन उपस्थित। बहस सुनी गई। वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से है कि चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 की खाता सं. 213 नई 19 पुरानी में प0न0 96/41 मु0न0 196 कि0न0 4 ता 7, 14, 15 की 1.518 है0 अ0क0, प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 1 ता 3, 6 ता 12 की 2.530 है0 अ0क0, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7, 8, 13 ता 17, 24 व 25 की 2.277 है0 अ0क0 प0न0 96/51 मु0न0 241 कि0न0 5 की 0.253 है0 अ0क0, प0न0 96/58 मु0न0 199 कि0न0 21 की 0.253 है0 अ0क0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 1, 2, 9, 10 की 1.012 है0 अ0क0 कुल 7.843 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि में मुझ वादी के नाम से 1569/7843 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1619/7843 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1569/7843 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 3086/7843 हिस्सा भूमि अंकित है। यह कि चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 की खाता सं. 140 नई 20 पुरानी में प0न0 96/41 मु0न0 196 कि0न0 16, 25/1 की 0.481 है0 अ0क0, प0न0

कमश 2

उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

96/49 मु0न0 197 कि0न0 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 की 1.671 है0 अ0क0 व प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 1 ता 4 की 1.012 है0 अ0क0 कुल 3.164 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 ता 5 के नाम से बहिब अंकित है। हम वादी व प्रतिवादीगण सं. 1 ता 3 ने वाद पत्र की मद सं. 2 में अंकित कृषि भूमि का घरु बटवारा निम्न प्रकार से कर रखा है :-

वादी औमप्रकाश पुत्र श्री कुशलाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 1-2/0.506, 3/0.170 (उत्तरी पासा), 9/0.061, 10/0.060, (उत्तरी पासा) = 0.787 है0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 2/0.235, 9/0.253, 10/0.253 की 0.741 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 1.538 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 1 केशूराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 3/0.083 (दक्षिणी पासा), 6 ता 8/0.759 है0 अ0क0 = 0.842 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि व प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 14/0.251, 15/0.217, 16/0.018 (पश्चिमी पासा) 17/0.253 = 0.739 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.581 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 2 खिराजराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 9/0.174 (दक्षिणी पासा), 10/0.175 (दक्षिणी पासा), 11/0.214 (पूर्वी पासा), 12/0.235 अ0क0 = 0.798 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7/0.235 (दक्षिणी पासा), 8/0.253, 13/0.253 की 0.741 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.539 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 3 शकुन्तला देवी पत्नी डोगरदास के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी के एस एम तहसील सूरतगढ के प0न0 96/41 मु0न0 196 कि0न0 4 ता 7, 14 व 15 की 1.518 है0 अ0क0, प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 10/0.003 (पश्चिमी पासा), 11/0.003 (पश्चिमी पासा) = 0.006 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 16/0.217 (पूर्वी पासा), 24/0.253, 25/0.235 = 0.705 है0 अ0क0, प0न0 96/58 मु0न0 199 कि0न0 21 की 0.253 है0 अ0क0 प0न0 96/51 मु0न0 241 कि0न0 5 की 0.235 (पश्चिमी पासा) अ0क0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 1 की 0.253 है0 2/0.036 है0 (पश्चिमी पासा) अ0क0 इस प्रकार कुल 3.006 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 4 मदनलाल को रास्ता के एवज मे दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 11/0.018 है0 (दक्षिणी पासा) व कि0न0 12/0.018 है0 (दक्षिणी पासा) = 0.036 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि,



सूरतगढ उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

प्रतिवादी सं. 05 बनवारीलाल को रास्ता के एवज में दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7/0.018 है0 (उत्तरी पासा)

रास्ता के लिये छोड़ी गई कृषि भूमि :-

चक 4 बीकेएसएम तहसील सूरतगढ प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 21/0.018 (पश्चिमी पासा), 20/0.018 (पश्चिमी पासा), 11/0.018 (पश्चिमी पासा), 10/0.012+0.018 = 0.030 (0.012 पश्चिमी पासा व 0.018 मध्य भाग) व कि0न0 9/0.018 (मध्य भाग) = 0.120 है0, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 4/0.018 (पूर्वी पासा), 7/0.018 (पूर्वी पासा), 14/0.02 (उत्तरी पूर्वी कोना), 15/0.036 (उत्तरी पासा व 0.018 पूर्वी पासा = 0.018 है0), 16/0.018 (पूर्वी पासा), 25/0.018 (पूर्वी पासा) कुल 0.128 है0, प0न0 96/51 मु0न0 242 कि0न0 5/0.018 (पूर्वी पासा) 6/0.002 (उत्तरी पूर्वी कोना) कुल 0.078 है0

इस प्रकार हम वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि को घर बटवारा अनुसार बांट कर काशत करते आ रहे हैं तथा अपने खेतों में आने जाने हेतु सहमति से रास्ता रखा हुआ है जिसे हम राजस्व रिकार्ड में स्वीकृत करवाना चाहते हैं। वादी व प्रतिवादीगण उक्त भूमि का खाता विभाजन करवाने व रास्ता में आने वाली भूमि को राजस्व रिकार्ड में रास्ता स्वीकृत करवाने हेतु तहसीलदार राजस्व सूरतगढ से मिले तो उन्होंने इसे करने से सपष्ट इन्कार कर दिया तथा कहा कि सक्षम अधिकारी के समक्ष वाद पत्र प्रस्तुत कर विभाजन की घोषणा व रास्ता स्वीकृत कराओ। इसलिये वादी ने अपना यह वाद पत्र श्रीमानजी के समक्ष प्रस्तुत किया है।

पत्रावली दर्ज रजिस्टर की गई प्रतिवादी को रजिस्ट्रड नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादीगण की से प्रतिवादीगण के विद्वान अभिभाषकगण ने वादी एवं प्रतिवादीगण के सहमति पत्र बटवारा भूमि जैसा कि पूर्व में वाद में अंकित है उसी अनुसार करवाया जना स्वीकार किया तथा इस आशय का एक सहमति पत्र वादी एवं प्रतिवादीगण ने प्रस्तुत किया उक्त बटवारा में सभी सह खातेदारान को रास्ता व पानी की सिंचाई की सुविधा को मध्यनजर रखते हुये मुताबिक सहमति पत्र के खाता विभाजन करवाने का निवेदन किया। किसी पक्ष को कोई एतराज नहीं है। तहसीलदार सूरतगढ ने कोई आपत्ति दर्ज नहीं करवाई। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया गया व मनन किया गया। पत्रावली के साथ प्रस्तुत साक्ष्यों व रिकार्ड का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार निम्न प्रकार से खाता विभाजन स्वीकार किया जाता है :-

वादी औमप्रकाश पुत्र श्री कुशलाराम के कब्जा काशत की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 1-2/0.506, 3/0.170 (उत्तरी पासा), 9/0.061, 10/0.060, (उत्तरी पासा) = 0.787 है0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 2/0.235, 9/0.253, 10/0.253 की 0.741 है0 अ0क0 इस प्रकार कुल 1.538 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

कमश 4

(4)

प्रतिवादी सं. 1 केशुराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 3/0.083 (दक्षिणी पासा), 6 ता 8/0.759 है0 अ0क0 = 0.842 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि व प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 14/0.251, 15/0.217, 16/0.018 (पश्चिमी पासा) 17/0.253 = 0.739 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.581 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 2 खिराजराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 9/0.174 (दक्षिणी पासा), 10/0.175 (दक्षिणी पासा), 11/0.214 (पूर्वी पासा), 12/0.235 अ0क0 = 0.798 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7/0.235 (दक्षिणी पासा), 8/0.253, 13/0.253 की 0.741 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.539 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 3 शकुन्तला देवी पत्नी डोगरदास के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी के एस एम तहसील सूरतगढ के प0न0 96/41 मु0न0 196 कि0न0 4 ता 7, 14 व 15 की 1.518 है0 अ0क0, प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 10/0.003 (पश्चिमी पासा), 11/0.003 (पश्चिमी पासा) = 0.006 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 16/0.217 (पूर्वी पासा), 24/0.253, 25/0.235 = 0.705 है0 अ0क0, प0न0 96/58 मु0न0 199 कि0न0 21 की 0.253 है0 अ0क0 प0न0 96/51 मु0न0 241 कि0न0 5 की 0.235 (पश्चिमी पासा) अ0क0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 1 की 0.253 है0 2/0.036 है0 (पश्चिमी पासा) अ0क0 इस प्रकार कुल 3.006 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 4 मदनलाल को रास्ता के एवज मे दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 11/0.018 है0 (दक्षिणी पासा) व कि0न0 12/0.018 है0 (दक्षिणी पासा) = 0.036 है0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि,

प्रतिवादी सं. 05 बनवारीलाल को रास्ता के एवज मे दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7/0.018 है0 (उत्तरी पासा)

रास्ता के लिये छोड़ी गई कृषि भूमि :-

चक 4 बीकेएसएम तहसील सूरतगढ प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 21/0.018 (पश्चिमी पासा), 20/0.018 (पश्चिमी पासा), 11/0.018 (पश्चिमी पासा), 10/0.012+0.018 = 0.030 (0.012 पश्चिमी पासा व 0.018 मध्य भाग) व कि0न0 9/0.018 (मध्य भाग) = 0.120 है0, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 4/0.018

कमश 5



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

(5)

(पूर्वी पासा), 7/0.018 (पूर्वी पासा), 14/0.02 (उत्तरी पूर्वी कोना), 15/0.036 (उत्तरी पासा व 0.018 पूर्वी पासा = 0.018 है0), 16/0.018 (पूर्वी पासा), 25/0.018 (पूर्वी पासा) कुल 0.128 है0, प0न0 96/51 मु0न0 242 कि0न0 5/0.018 (पूर्वी पासा) 6/0.002 (उत्तरी पूर्वी कोना) कुल 0.078 है0

अतः वाद वादी स्वीकार कर उक्तानुसार विभाजन वादी व प्रतिवादीगण के कब्जा काशत अनुसार व रास्ते की सुविधा को मध्यनजर रखते हुये काशकारो के हिस्सा मुताबिक विभाजन स्वीकार किया जाता है। डिक्री जारी हो।

निर्णय आज दिनांक ...19.05.26 को सरे इजलास सुनाया गया।



*B2*  
उपखण्ड अधिकारी  
उपखण्ड अधिकारी  
(सुरसागर राज.)

## आ० 21 रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी

### डिकी बमुकददम इब्तदाई

अजअदालत	—	सहायक जिलाधीश एंव आंवटन अधिकारी सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर
बइजलास	—	भरत जयप्रकाश मीणा

अनवान :

औमप्रकाश पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।

—वादी

बनाम

1. केशूराम पुत्र श्री भीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
2. खिराजराम पुत्र श्री भीयाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
3. शकुन्तला देवी पत्नी श्री डोगरदास जाति जाट निवासी विजयनगर तहसील विजयनगर जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
4. मदनलाल पुत्र श्री कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
5. बनवारीलाल पुत्र कुशलाराम जाति जाट निवासी ग्राम रघुनाथपुरा तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर राजस्थान।
6. तहसीलदार भू०अ० सूरतगढ।

— प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 53, 251 (क) 209 आरटीए मुकदमा नम्बर 34/2026 यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कितई रुबरु हमारे व हाजिर वकील वादी श्री प्रमेन्द्र सिंह भाटी, व पैरोकार राज के पेश होने पर हुक्म दिया जाता है। वाद वादी स्वीकार किया जाता है। चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 की खाता सं. 213 नई 19 पुरानी में प०न० 96/41 मु०न० 196 कि०न० 4 ता 7, 14, 15 की 1.518 है० अ०क०, प०न० 96/49 मु०न० 197 कि०न० 1 ता 3, 6 ता 12 की 2.530 है० अ०क०, प०न० 96/50 मु०न० 200 कि०न० 7, 8, 13 ता 17, 24 व 25 की 2.277 है० अ०क० प०न० 96/51 मु०न० 241 कि०न० 5 की 0.253 है० अ०क०, प०न० 96/58 मु०न० 199 कि०न० 21 की 0.253 है० अ०क०, प०न० 96/59 मु०न० 242 कि०न० 1, 2, 9, 10 की 1.012 है० अ०क० कुल 7.843 है० अ०क० खातेदारी कृषि भूमि में मुझ वादी के नाम से 1569/7843 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 1 के नाम से 1619/7843 हिस्सा, प्रतिवादी सं. 2 के नाम से 1569/7843 हिस्सा व प्रतिवादी सं. 3 के नाम से 3086/7843 हिस्सा भूमि अंकित है। यह कि चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के राजस्व रिकार्ड की जमाबन्दी सम्वत 2071 ता 74 की खाता सं. 140 नई 20 पुरानी में प०न० 96/41 मु०न० 196 कि०न० 16, 25/1 की 0.481 है० अ०क०, प०न० 96/49 मु०न० 197 कि०न० 18, 19, 20, 21/1, 22/1, 23/1, 24/1 की 1.671 है० अ०क० व प०न० 96/50 मु०न० 200 कि०न० 1 ता

कमश 2



उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

(2)

4 की 1.012 है 0 अ0क0 कुल 3.164 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि प्रतिवादी सं. 4 ता 5 के नाम से बहिब अंकित है। जिसका निम्न प्रकार से खाता विभाजन डिक्री किया जाता है :-

वादी औमप्रकाश पुत्र श्री कुशलाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 1-2/0.506, 3/0.170 (उत्तरी पासा), 9/0.061, 10/0.060, (उत्तरी पासा) = 0.787 है 0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 2/0.235, 9/0.253, 10/0.253 की 0.741 है 0 अ0क0 इस प्रकार कुल 1.538 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 1 केशूराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 3/0.083 (दक्षिणी पासा), 6 ता 8/0.759 है 0 अ0क0 = 0.842 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि व प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 14/0.251, 15/0.217, 16/0.018 (पश्चिमी पासा) 17/0.253 = 0.739 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.581 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 2 खिराजराम पुत्र श्री भीयाराम के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 9/0.174 (दक्षिणी पासा), 10/0.175 (दक्षिणी पासा), 11/0.214 (पूर्वी पासा), 12/0.235 अ0क0 = 0.798 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि, प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 7/0.235 (दक्षिणी पासा), 8/0.253, 13/0.253 की 0.741 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि इस प्रकार कुल 1.539 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि।

प्रतिवादी सं. 3 शकुन्तला देवी पत्नी डोगरदास के कब्जा काश्त की भूमि :-

चक 4 बी के एस एम तहसील सूरतगढ के प0न0 96/41 मु0न0 196 कि0न0 4 ता 7, 14 व 15 की 1.518 है 0 अ0क0, प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 10/0.003 (पश्चिमी पासा), 11/0.003 (पश्चिमी पासा) = 0.006 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि प0न0 96/50 मु0न0 200 कि0न0 16/0.217 (पूर्वी पासा), 24/0.253, 25/0.235 = 0.705 है 0 अ0क0, प0न0 96/58 मु0न0 199 कि0न0 21 की 0.253 है 0 अ0क0 प0न0 96/51 मु0न0 241 कि0न0 5 की 0.235 (पश्चिमी पासा) अ0क0, प0न0 96/59 मु0न0 242 कि0न0 1 की 0.253 है 0 2/0.036 है 0 (पश्चिमी पासा) अ0क0 इस प्रकार कुल 3.006 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि है।

प्रतिवादी सं. 4 मदनलाल को रास्ता के एवज मे दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प0न0 96/49 मु0न0 197 कि0न0 11/0.018 है 0 (दक्षिणी पासा) व कि0न0 12/0.018 है 0 (दक्षिणी पासा) = 0.036 है 0 अ0क0 खातेदारी कृषि भूमि,



*(Signature)*  
उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (राज.)

कमश 3

प्रतिवादी सं. 05 बनवारीलाल को रास्ता के एवज में दी गई भूमि

चक 4 बी.के.एस.एम. तहसील सूरतगढ के प०न० 96/50 मु०न० 200 कि०न० 7/0.018 है० (उत्तरी पासा)

रास्ता के लिये छोड़ी गई कृषि भूमि :-

चक 4 बीकेएसएम तहसील सूरतगढ प०न० 96/49 मु०न० 197 कि०न० 21/0.018 (पश्चिमी पासा), 20/0.018 (पश्चिमी पासा), 11/0.018 (पश्चिमी पासा), 10/0.012+0.018 = 0.030 (0.012 पश्चिमी पासा व 0.018 मध्य भाग) व कि०न० 9/0.018 (मध्य भाग) = 0.120 है०, प०न० 96/50 मु०न० 200 कि०न० 4/0.018 (पूर्वी पासा), 7/0.018 (पूर्वी पासा), 14/0.02 (उत्तरी पूर्वी कोना), 15/0.036 (उत्तरी पासा व 0.018 पूर्वी पासा = 0.018 है०), 16/0.018 (पूर्वी पासा), 25/0.018 (पूर्वी पासा) कुल 0.128 है०, प०न० 96/51 मु०न० 242 कि०न० 5/0.018 (पूर्वी पासा) 6/0.002 (उत्तरी पूर्वी कोना) कुल 0.078 है०

डिक्री जारी हो। खातेदारी कृषि भूमि का खाता अलग से कायम कर व रास्ता हेतु छोड़ी गई भूमि का राजस्व रिकार्ड में गै०मु०रास्ता का अंकन करने के आदेश दिये जाते हैं।

उपरोक्तानुसार जारी डिक्री की पालना जरिये इजराय करवाई जावे।

नोज ..... मुबलिंग ..... बाबत ..... खर्चा इस मुकदमे में मय सूद बशरह ..... फसदों की पालना ..... आज तारीख से तारीख वसूल वो तक की अदा करे।

बसिक्त मेरे दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 19.05.26 को जारी की गई



सहायक जिलाधीश  
उपखण्ड अधिकारी  
एवम् उपखण्ड अधिकारी  
सूरतगढ (सि.जि.)  
सूरतगढ।